WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052025-262937
CG-DL-E-06052025-262937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1978] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947
No. 1978] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

का.आ. 2022(अ).—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है, अर्थात:-

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय – भूतपूर्व अध्यक्ष, पीएफआरडीए	अध्यक्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
श्री संजीव कुमार पुजारी – भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सदस्य	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
श्री जी. रामास्वामी – भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई	सदस्य	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
श्री गोपाल कुमार विश्वनाथ राय, भारतीय बीमांकक संस्थान के अध्येता सदस्य	सदस्य	परिषद द्वारा नामित
सुश्री पद्मजा रघुनाथन, भारतीय बीमांकक संस्थान के अध्येता सदस्य	सदस्य	परिषद द्वारा नामित

2. उल्लेख किए गए पद अंशकालिक प्रवृत्ति के हैं एवं अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठक की प्रक्रिया, उक्त

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक और भत्ता, बीमांकक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (बैठकों की प्रक्रिया, और अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2008 के अनुसार होंगे।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम-16013/01/2024-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

S.O. 2022(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government, hereby, constitutes a Quality Review Board, consisting of the following persons, namely :—

Shri Supratim Bandyopadhyay – former Chairperson, PFRDA.	Chairperson	Nominated by the Central Government
Shri Sanjeev Kumar Pujari – former Executive Director, SBI Life Insurance Company Ltd.	Member	Nominated by the Central Government
Shri G. Ramaswamy – former President, ICAI.	Member	Nominated by the Central Government
Shri Gopal Kumar Vishwanath Roy, Fellow of Institute of Actuaries of India.	Member	Nominated by the Council
Ms. Padmaja Raghunathan, Fellow of Institute of Actuaries of India.	Member	Nominated by the Council

2. Mentioned posts are part-time in nature and tenure of the Chairperson and the Members shall be three years fromthe date of assumption of charge, or until further orders, whichever is earlier. The procedure of the meetings of the Quality Review Board and terms and conditions of service of the Chairperson and the Members of the said Board and their remuneration and allowances shall be as per the Actuaries Quality Review Board (Procedure for Meetings, and the Termsand Conditions of service and Allowances of the Chairperson and Members) Rules, 2008.

3. This Notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M-16013/01/2024-Ins. I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.